वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

1. परियोजना/स्कीम का स्थान – **मैग्जीन (एक्सप्लोसिव गोदाम) गल्फ ऑयल कार्पोरेशन**

i – राज्य/संघ शासित क्षेत्र – **छत्तीसगढ़**

ii – जिला – **रायपुर**

iii – वन प्रभाग – **तिल्दा**

iv – वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.) – **4 हेक्टेयर**

v – वन की कानूनी स्थिति – **आरक्षित वन कक्ष क्र. 41**

vi – हरियाली का घनत्व – **0.4 से 0.6**

vii प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल.,एफ.एफ. आर.एल.–2मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल.4 मी. भी संलग्न किये जाये।

आवश्यकता नहीं है।

viii भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता सामान्य है। भू–क्षरण की स्थिति निर्मित नहीं होगी।

आवश्यकता नहीं है।

ix वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।

आवेदित क्षेत्र वन भूमि में ही स्थित है।

x क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हॉ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबंधित की जाए)

आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग नहीं है।

xi क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हॉ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।

.....**नहीं**.....

xii – क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हों दें।

.....नहीं .....

2. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि हॉ तो, जांचे गये विकलपों के ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ अपेक्षित हो, दें।

आवेदक संस्था द्वारा मांग की वनभूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

3. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहें है।

आवेदक संस्थान को वर्ष 1970 में 30 वर्षो के लिए लीज पर वन भूमि दिये गये थे। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू होने के पूर्व ही गोदाम निर्माण का कार्य किया गया था।

4. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा

प्रतिपूरक वनीकरण आवेदक संस्थान द्वार वन भूमि के बदले उपलब्ध कराई गई निजी भूमि में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

5. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।

प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित स्थल निम्नानुसार है :–

कमांक	स्थान	खसरा नंबर	रकबा
1	ग्राम उसलापुर प.ह.नं. 43 जिला बेमेतरा	90/1,	0.800
		90/2	0.500
		90/3	0.270
		137/1	1.230
		137/2	0.900
		117	0.300
	योगः–		4 हे.

i प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आसपास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

.....**संलग्न है।**.....

ii रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।

रोपित प्रजातियॉ – मिश्रित।
प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का विवरण – 10 वर्षीय।

iii प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

लागत रूपये :– .....

iv प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए।)

.....**संलग्न है।**.....

6. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः कालम 7(xi,xii) और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)।

आवेदित भूमि में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ नहीं पायी जाती तथा कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित नहीं तथा आवेदक संस्था द्वारा मांग की गई वनभूमि आवश्यकता परियोजनाओं के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है।

7 विभाग/जिला प्रोफाईल

i रायपुर जिले का भौगोलिक क्षेत्र
रायपुर जिले की भौगोलिक स्थिति – 226 वर्ग कि.मी.

ii जिले का वन क्षेत्र
रायपुर जिले का वन क्षेत्र –12.74 वर्ग कि.मी. आरक्षित वन, 18.59 वर्ग कि.मी. नारंगी क्षेत्र।

iii मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लागा गया कुल वन क्षेत्र।

.....**निरंक**.....

iv 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक क. दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।

..... निरंक .....

ख. वनेत्तर भूमि पर

..... निरंक .....

v तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क) वन भूमि

.....निरंक.....

(ख) वनेत्तर भूमि पर।

.....निरंक.....

vi प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव का अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

मैग्जीन एक्सप्लोसिव गोदाम के निर्माण हेतु वर्ष 1970 में 30 वर्ष के लिए लीज पर गल्फ ऑयल कार्पोरेशन को दी गई थी। वन भूमि पर निर्माण कार्य वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के पूर्व ही वन भूमि पर गोदाम निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त वन भूमि को व्यपवर्तन किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :– 24/09/2016
स्थान :– बिलाड़ी

हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर

वन मण्डलाधिकारी,
रायपुर वनमण्डल, रायपुर
(एम. मसीहोला)
(भा.व.से.)

उप वन मंडलाधिकारी
रायपुर उपवनमंडल
रायपुर (छ.ग.)

पूर्व में किये गये स्थल निरीक्षण से मैं सहमत हूँ एवं वन भूमि व्यपवर्तन किये जाने की अनुशंसा करता हूँ।

दिनांक 05-01-2018

(उत्तम कुमार गुप्ता)
भा.व.से.
वन मण्डलाधिकारी,
रायपुर वनमण्डल, रायपुर